# कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email id: nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax: 0135 2767611


संख्याः–1594 / 12-1 देहरादूनः दिनांक 14 फरवरी, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषय :– जनपद–चम्पावत के अन्तर्गत प्रस्तावित विरमोला–रायल मोटर मार्ग हेतु 2.3643 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal no. FP/UK/ROAD/18062/2016)।

संदर्भ :–भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के एफ0आर0सी0एम0 बैठक दिनांक 31.07.2023, भारत सरकार के पत्रांक 509 दिनांक 14.07.2023 एवं वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 1814/12–1(2) दिनांक 23.01.2024 (प्रति संलग्न)।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के सम्बन्ध में अवगतनीय है कि भारत सरकार के उपरोक्त **FRCM Meeting दिनांक** 31.07.2023 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के सन्दर्भित पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 24.08.2023 को वन क्षेत्राधिकारी, चम्पावत, प्रभागीय सर्वेयर एवं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियन्ता एवं स्टाफ के साथ प्रश्नगत मार्ग निर्माण हेतु वैकल्पिक संरेखण का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि वैकल्पिक संरेखण यद्यपि लम्बाई में छोटा है परन्तु क्षेत्र का ग्रेडिएंट अधिक होने, क्षेत्र की भूमि स्थिर न होने के कारण भू–स्खलन की घटनायें समय–समय पर घटित होने के फलस्वरूप कास्तकारों की नाप भूमि पर इस मलवा लगातार गिरता रहता है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त वैकल्पिक संरेखण में साल के अधिक वृक्ष प्रभावित होगें। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त के परिपेक्ष में मार्ग निर्माण हेतु वैकल्पिक संरेखण उचित प्रतीत न होकर मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में दिये गये मूल संरेखण पर ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी के अनुरोध के दृष्टिगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्न–यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 1594 / 12-1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत।

(आर0के0 मिश्र)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।